

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प कोटा (झापर)

510  
15/6/18

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोटा (झापर) व भू-अभिलेख निरीक्षक चैनपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मावलपुर / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटा (झापर) तहसील मावलपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 6 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कोटा (झापर)	6	अमरलाल पप्पू किनोद मौबालाल पि. जयराम प्रेम बेवा जयराम रामप्रसाद श्याम सुन्दर रघुबीराम किरोड़ी पि. सन्तोकी सोनी बेवा सन्तोकी जीता चन्दो अनील मुन्नी राजो (नावा.) सफेडी (नावा.) जैलवाई (नावा.) पुत्रीया सन्तोकी सरखड मौरुद हरेती पुत्र माया चन्द जारी चमार सा. देह दि. व.	अमरलाल पप्पू किनोद मौबालाल पि. जयराम प्रेम बेवा जयराम रामप्रसाद श्याम सुन्दर रघुबीराम किरोड़ी पि. सन्तोकी सोनी बेवा सन्तोकी जीता चन्दो अनील मुन्नी राजो (नावा.) सफेडी (नावा.) जैलवाई (नावा.) पुत्रीया सन्तोकी सरखड मौरुद हरेती पुत्र माया चन्द जारी चारक सा. देह दि. व.

15/6/18  
( उप खण्ड अधिकारी )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प कोटा (झापर)  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार मावलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।